कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 501 /अलीगढ़/25541/2017 ,अलीगढः दिनांकः अगस्तः 6 ,2018

सेवा में,

डिवीजनल मैनेजर,
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
2314, तृतीय तल, टावर द कोरिएन्थम,
ए–41, सेक्टर–62, नोएडा।

विषयः– अलीगढ़ में पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग एस0एच0 22ए, किमी0 74 चैनेज 73.800 की दांयी पटरी पर ग्राम ल्होसरा बिसावन के खसरा सं0 141/ए पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– भारत सरकार प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र सं0–8बी/ यू0पी0/06/19/2018/एफ0सी0/312 दि0 31.07.2018 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 263/अलीगढ़/25541/2017 दिनांक 02.08.2018

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बंध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि 31.07.2018 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखिति समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त स0–1 से 11 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि इस सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1,28,600/– (एक लाख अठ्ठाइस हजार छः सौ मात्र) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमा कर पावती रसीद व Payment History की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 46,967/– (छयालीस हजार नौ सौ सरसठ मात्र) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद व Payment History की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

   (ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृती की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

4– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगीं। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र भी 05 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

5– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि उनके द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के मध्य की भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जाएगा।

6– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारदिवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा जिसमें वृक्षों का अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जायेगी।

7– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क के किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचायें पेट्रोल पम्प के लोकेशन को दर्शाने वाले साईन बोर्ड /मार्किंग समुचित स्थान पर लगाये जायेंगें।

8– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि पेट्रोल पम्प सामान्यतः रेस्ट एरिया काम्पलेक्स जिसमें सभी जनसुविधाएं यथा पार्किंग, शौचालय आदि उपलब्ध हों, का हिस्सा होना चाहिए। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऐसे भवनों के निर्माण की पूर्ण योजना तैयार की जायेगी ताकि सड़क किनारे वृक्षारोपण को न्यूनतम क्षति पहुंच सके।

9– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि विधिवत् स्वीकृति के उपरांत स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारदिवारी में 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जायेगी। पेट्रोल पम्प सामान्यतः रेस्ट एरिया काम्पलेक्स जिसमें सभी जनसुविधाएं यथा पार्किंग, शौचालय आदि उपलब्ध हों, का हिस्सा होना चाहिए। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऐसे भवनों के निर्माण की पूर्ण योजना तैयार की जायेगी ताकि सड़क किनारे वृक्षारोपण को न्यूनतम क्षति पहुंच सके।

10– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

11– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

उक्त प्रकरण में पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग एस0एच0 22ए, किमी0 74 चैनेज 73.800 की दांयी पटरी पर ग्राम ल्होसरा बिसावन के खसरा सं0 141/ए पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन की की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों/पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

कम सं0	जनपद	वृक्षों की सं0 (गर्थ >30 से0मी0)	पौधों की सं0 (गर्थ < 30 से0मी0)
1	अलीगढ	10	0

छपान:– बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि *(प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दि0 23–9–2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 6939 वृक्ष/पौधे दर 10/– रू0 प्रति वृक्ष/पौधे)* रू0 100/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं वचनवद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।

1– प्रतिलिपि:– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को विषयक कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

2– प्रतिलिपि:– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।